संख्या-80/2018/2363/सैंतीस-2-2018-1(7)/2017

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 जुलाई, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वाहन क्रय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-50/उ.प्र.प.चि.परि./2018-19, दिनांक-25.06.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.) के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में सम्भावित बचतों से उक्त लेखाशीर्षक के ही मानक मद 14-मोटरगाडियों का क्रय में रू0-0.35389 लाख (रूपये पैंतीस हजार तीन सौ नवासी मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार पुनर्विनियोजित करते हुए निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुई 01 एम्बेसडर कार के प्रतिस्थापन स्वरूप जेम पोर्टल द्वारा अनुमोदित दरों पर 01 टाटा नेक्सान (डी) एक्सजेड+(एसटी)बीएस4 वाहन के क्रय हेतु मानक मद 14-मोटरगाडियों का क्रय में कुल रू0-8,35,389.00 (रूपये आठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ नवासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति व उक्त वाहन के क्रय हेतु धनराशि का व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के संगत शासनादेशों में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत वाहन का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी. के नये जेम पोर्टल के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक-23 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(3) वाहन क्रय के संबंध में परिवहन विभाग के संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वाहन की नीलामी की धनराशि राजकोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(6) वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त वाहन के संदर्भ में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से वाहन क्रय न किया गया हो अर्थात् इसकी द्विरावृत्ति न हो।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (रा.यो.)-14-मोटरगाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-395/दस-2018, दिनांक-12.07.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-80/2018/2363(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।